चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/4930
दिनांक : 17.01.2022

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर,
मेरठ।

विषय : कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम हेतु दिशा–निर्देश एवं उपाय।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त शासन के पत्र सख्या–84/सत्तर–3–2022–08(20)/2020 दिनांक 12 जनवरी, 2022 एवं पत्र सख्या–100/2022–सीएक्स–3 दिनांक 16 जनवरी, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम हेतु दिशा–निर्देश एवं उपाय के सम्बन्ध में दिये गये कतिपय निर्देशों में अन्य बिन्दुओं के अलावा यह भी निर्देश दिये गये है कि समस्त सरकारी/निजी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ रोस्टर के आधार पर कार्य करेंगे एवं कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया गया, साथ ही समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान भौतिक रूप से दिनांक 17.01.2022 से दिनांक 23.01.2022 तक बन्द रखने तथा पठन–पाठन कार्य ऑनलाईन संचालित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त के क्रम में शासन के उपरोक्त संलग्न पत्रों के आलोक में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित कक्षायें/शिक्षण कार्य दिनांक 17.01.2022 से संस्थान परिसर में न होकर ऑनलाइन संचालित किये जायेगे। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान परिसर में छात्र/छात्राओं की उपस्थिति नही होगी व विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में शिक्षकों को विभागाध्यक्ष/प्राचार्यो के निर्देशानुसार राजकीय हित में बुलाये जाने पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त आप अपने कार्यालय में प्रत्येक कार्यदिवस में अधिकतम, 50 प्रतिशत तक कार्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु रोस्टर तैयार करें इस व्यवस्था में रोस्टर के अनुसार किसी एक दिन कुलकर्मियों की संख्या के अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मी ही कार्यालय में उपस्थित होगें। सम्बन्धित कर्मचारी ही कार्यालय में उपस्थिति हो अनावश्यक कर्मचारियों को न बुलाया जाय, ऐसे कर्मी अलटरनेट दिवस पर कार्यालय आयें ताकि विभागीय कार्यो में व्यवधान उत्पन्न न हो। कार्यालय की कार्यावधि में सोशल डिस्टैन्सिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय एंव कार्यालय में कोविड हैल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाय। रोस्टर के अनुसार घर से कार्य सम्पादित कर रहें कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के सर्म्पक में रहेगें उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकता है।

अतः उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

17-01-2022
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया जी के सूचनार्थ।
02. प्रति–कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,मेरठ।
04. छात्र कल्याण अधिष्ठाता/कुलानुशासक/चीफ वार्डन, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
05. वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
06. परीक्षा नियंत्रक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
07. समस्त उप–कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभागाधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
08. चिकित्सा अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रशानिक भवन में कोविड हैल्प डेस्क स्थापित कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
09. विश्वविद्यालय, प्रैसप्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
10. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।

कुलसचिव

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या– 84 /सत्तर–3–2022–08(20)/2020

प्रेषक,

अब्दुल समद
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 शासन।

3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉक 12 जनवरी, 2022**

विषयः– कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश एवं उपाय।

महोदय,

कोविड–19 के बढ़ते संकमण को रोके जाने के सम्बन्ध में गृह (गोपन) अनुभाग–3 के संलग्न आदेश संख्या–70/2022–सीएक्स–3 दिनांक 10.01.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह विभाग द्वारा कोविड–19 के बढ़ते संकमण को रोके जाने के सम्बन्ध में दिये गये कतिपय निर्देशों में अन्य बिन्दुओं के अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि समस्त सरकारी/निजी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ रोस्टर के आधार पर कार्य करेंगे एवं कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाये।

3– अतः अनुरोध है कि उक्त निर्देशों के साथ–साथ कोविड–19 के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत मानक दिंशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

संख्या– 84 (1)/सत्तर–3–2020, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री उ0प्र0।
2– निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री उच्च शिक्षा उ0प्र0।
3– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग उ0प्र0 शासन।
5– कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
6– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

Nikhil G.O.

संख्या – 84 / ...-3-2022

संख्या–70/2022–सीएक्स–3

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश।
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी।
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक 10 जनवरी 2022

विषय:– कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण को रोके जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–1054/2021–सीएक्स–3 दिनांक 19.06.2021, आदेश संख्या–2141/2021–सीएक्स–3, दिनांक 24.12.2021, आदेश संख्या–15/2022–सीएक्स–3, दिनांक 04.01.2022, आदेश संख्या–34/2022–सीएक्स–3 दिनांक 05.01.2022 तथा आदेश संख्या–69/2022–सीएक्स–3 दिनांक 09.01.2022 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त वर्तमान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत निम्नवत निर्देश निर्गत किये जाते हैं–

(1) हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग व एन्टीजन टेस्ट एवं आवश्यकतानुसार आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाये, यदि किसी यात्री की रिपोर्ट धनात्मक आती है एवं यात्री यदि लक्षणात्मक है, तो उन्हें पूर्ण चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जनपद स्तर पर नामित प्रशासनिक व मेडिकल टीम उपरोक्तानुसार आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग कराना सुनिश्चित करेंगे एवं समुचित उपचार की व्यवस्था करायें। अन्य व्यक्ति जो स्वेच्छा से टेस्ट कराना चाहते हैं उनका भी टेस्ट कराया जाये, स्वास्थ्य विभाग से इस सम्बन्ध में अलग से निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

(2) समस्त सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत कार्मिकों की क्षमता के साथ रोस्टर के आधार पर कार्य करेंगे एवं कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किये जायें।

(3) निजी कार्यालय के कर्मचारी यदि कोविड धनात्मक पाये जाते हैं तो उन्हें 07 दिन के होम आइसोलेशन की अवधि के वेतन का भी भुगतान किया जाये, जिससे उनको आर्थिक कठिनाई न हो।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

संख्या–70(1)/2022 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
(3) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(4) अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन कृपया रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन पर धनात्मक आये रोगियों के उपचार के सम्बन्ध में एस०ओ०पी० जारी कराने का कष्ट करें।
(5) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) डिवीजनल रेल प्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे लखनऊ, डिवीजनल रेल प्रबन्धक, महाप्रबन्धक उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज एवं डिवीजनल रेल प्रबन्धक/महाप्रबन्धक पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव